



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018
http://rassb.rajasthan.gov.in दूरभाष नं. 0141-2722520



F14(144)RSSB/ARTHANA/PATWAR/2024-00637

Date: E-Sign

--: संशोधित विज्ञापित :- पटवारी सीधी भर्ती - 2025

राजस्व मण्डल, अजमेर के लिए राजस्थान राजस्व (भू-अभिलेख, भू-प्रबन्ध एवं उपनिवेशन, अधिनस्थ सेवा नियम, 2019 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधिनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा पटवारी के कुल 2020 (गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1733 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 287) पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 20.02.2025 को विज्ञापन जारी किया गया था।

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा उक्त भर्ती के विज्ञापित पदों में कुल 1685 पदों की वृद्धि कर कुल 3705 (गैर अनुसूचित क्षेत्र के 3183 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 522) पदों की संशोधित अर्थना बोर्ड को भिजवाई है। संशोधित पदों का वर्गीकरण अनुलग्नक (क, ख) संलग्न है।

01. आवेदन की प्रक्रिया :-

उक्त भर्ती में पूर्व में विज्ञापित कुल 2020 पदों में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने के कारण भर्ती में अभ्यर्थियों से पुनः आवेदन **दिनांक 23.06.2025 से दिनांक 29.06.2025 रात्रि 23.59 बजे** तक आमन्त्रित किये जाते हैं। समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) -2024 में उत्तिर्ण अभ्यर्थी उक्त भर्ती में आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। भर्ती में ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी <https://recruitment.rajasthan.gov.in/> > Login के पश्चात् **Ongoing Recruitment** में पटवारी सीधी भर्ती-2025 के सामने उपलब्ध **Apply Now** के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऐसे आवेदक जिन्होंने उक्त भर्ती में पूर्व में आवेदन कर रखा है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

02. आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया :-

ऑनलाइन आवेदन में नये आवेदक, आवेदन की उक्त तिथि के दौरान भी संशोधन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे आवेदक जिन्होंने पूर्व में आवेदन कर रखा है तथा नये आवेदक जो आवेदन में रह गई त्रुटि को संशोधित करना चाहते हैं, आवेदन समाप्ति के उपरान्त **दिनांक 30.06.2025 से 06.07.2025 रात्रि 23.59 बजे तक** आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। आवेदन में संशोधन हेतु ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे तथा उक्त अवधि के अतिरिक्त अन्य कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

03. आवेदन प्रत्याहरित करने की प्रक्रिया :- आवेदन आमन्त्रित किये जाने की अन्तिम तिथि के उपरान्त **दिनांक 07.07.2025 से दिनांक 09.07.2025 रात्रि 23.59 बजे तक** आवेदकों को आवेदन **प्रत्याहरित** (Application Form Withdrawal) करने हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किया जाएगा। ऐसे आवेदक जो उक्त भर्ती परीक्षा की योग्यता नहीं रखते हैं अथवा उक्त परीक्षा में किसी भी कारण से सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं, उक्त समयावधि में आवेदन प्रत्याहरित कर सकते हैं।

04. भर्ती के विस्तृत विज्ञापन क्रमांक 02/2025, दिनांक 20.02.2025 के बिन्दुओं में निम्नानुसार प्रावधान जोड़े जाते हैं :-

✧ बिन्दु संख्या **02. एकबारीय पंजियन शुल्क :-** में उपबिन्दु संख्या (02) के पश्चात्

03. कार्मिक विभाग (क-2) द्वारा परिपत्र क्रमांक-प.8(3)कार्मिक/क-2/2023-04443 दिनांक 09.05.2025 के क्रम में अभ्यर्थियों के लिये निर्देश जारी किये गये हैं कि यदि कोई अभ्यर्थी राजस्थान



लोक सेवा आयोग, अजमेर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर या राजस्थान राज्य की अन्य किसी भर्ती एजेन्सी द्वारा एक वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल-31 मार्च) में आयोजित किन्हीं दो परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा अर्थात् एकबारीय पंजीयन (OTR) सुविधा को प्रतिबंधित (Block) कर दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी प्रथम बार प्रतिबंधित होने पर पेनल्टी शुल्क 750/- रुपये देकर अपना एकबारीय पंजीयन शुल्क (OTR) पुनः चालू कर सकेंगे। यदि अभ्यर्थी पुनः उसी वित्तीय वर्ष में दो और भर्ती-परीक्षाओं में अनुपस्थित हो जाता है तो उसके ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को पुनः प्रतिबंधित (Block) कर दिया जायेगा तथा वापस सुविधा तभी उपलब्ध होगी जब पेनल्टी शुल्क दोगुना यानि 1500/- रुपये नहीं चुका देता। अतः उक्तानुसार बोर्ड द्वारा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

✧ बिन्दु संख्या **03. पदों का वर्गीकरण :-** में उल्लेखित नोट के बिन्दु संख्या (01) में उल्लेखित प्रावधान को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है—

01. गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे। यदि अभ्यर्थी का चयन अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है तो अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपना लिखित में **विकल्प/प्राथमिकता** प्रस्तुत करना होगा कि वह अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में से किस क्षेत्र में अपना चयन चाहता है तथा किस क्षेत्र के अपने चयन को निरस्त करवाना चाहता है। **विकल्प/प्राथमिकता** प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनुसूचित क्षेत्र के पदों के एवज में चयनित माना जावेगा।

✧ बिन्दु संख्या **08. आयुसीमा :-** के संबंध में उल्लेखित मूल विज्ञापन में उल्लेखित प्रावधान लागू होंगे। आयु की गणना 01.01.2026 के अनुसार की जाएगी। साथ ही उपबिन्दु संख्या (09) के पश्चात् निम्नानुसार प्रावधान जोड़ा जाता है —

10. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना दिनांक 14.10.2021 के अनुसार राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम-2018 के उपनियम 6-ए के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर बैचमार्क निःशक्तजन अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु में 05 वर्ष की छूट देय होगी एवं यह छूट उनके वर्ग के अनुसार ऊपरी आयु में देय छूट के अतिरिक्त होगी।

✧ बिन्दु संख्या **12 परीक्षा आयोजन :-**

01. बोर्ड द्वारा पटवारी के उक्त पदों पर भर्ती परीक्षा दिनांक 17.08.2025 (रविवार) को ऑफलाईन (ओ.एम.आर.) आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है। परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है।

02. बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में किसी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तो उसमें सामान्यीकरण (Normalization) की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

नोट :- अभ्यर्थी बोर्ड की भर्तियों से संबंधित अपनी परिवेदना/प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रपत्र में ईमेल आईडी pg.rssb@rajasthan.gov.in पर प्रेषित करें।

विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

सचिव

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर, को संबंधित पत्र राजकाज रेफरेन्स क्रमांक 15950530 के क्रम में सूचनार्थ।
2. प्रभारी अधिकारी आई.टी.सैल, RSSB को प्रति भेजकर लेख है कि उक्त संशोधित विज्ञापित को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कराएं।

सचिव

अनुलग्नक: (क) (गैर-अनुसूचित क्षेत्र)

क्र.सं.	जिला	जिले से भरे जाने वाले कुल पदों की संख्या	1. सामान्य वर्ग (GEN.)							2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)							3. अनुसूचित जाति							4. अनुसूचित जनजाति							5. बारां जिले की सहरिया (आदिम जाति) हेतु							6. पिछड़ा वर्ग							7. अति पिछड़ा वर्ग (MBC)							दण्डवत आरक्षण	
			कुल पदों की संख्या	सामान्य	महिला			भूतपूर्व सैनिक	कुल पदों की संख्या	सामान्य	महिला			भूतपूर्व सैनिक	कुल पदों की संख्या	सामान्य	महिला			भूतपूर्व सैनिक	कुल पदों की संख्या	सामान्य	महिला			भूतपूर्व सैनिक	कुल पदों की संख्या	सामान्य	महिला			भूतपूर्व सैनिक																					
					सामान्य	विधवा	परित्यक्ता				सामान्य	विधवा	परित्यक्ता				सामान्य	विधवा	परित्यक्ता				सामान्य	विधवा	परित्यक्ता				सामान्य	विधवा	परित्यक्ता		सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता									
1	अजमेर	122	49	35	11	3	0	6	12	8	3	1	0	2	19	13	4	2	0	2	22	12	9	0	1	3	0	0	0	0	0	14	12	1	0	1	2	6	5	1	0	0	1	5	3								
2	अलवर	97	29	14	9	5	1	4	10	7	2	1	0	1	13	7	5	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	23	11	5	1	5	5	3	2	0	0	1	4	2									
	अलवर (बैंकलॉग)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
3	बालोतरा	65	19	16	2	1	0	3	7	4	2	1	0	1	14	8	4	2	0	2	9	8	1	0	0	1	0	0	0	0	0	13	7	4	2	0	1	3	2	1	0	0	0	2	1								
4	बांरा	92	32	25	0	6	1	4	9	6	2	1	0	1	12	7	4	1	0	2	0	0	0	0	0	0	26	21	0	4	1	3	8	5	2	1	0	1	5	3	2	0	0	1	4	2							
5	बाडमेर	80	24	6	11	6	1	3	8	6	1	1	0	1	8	0	7	1	0	1	5	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0	31	19	9	2	1	4	4	3	1	0	0	1	3	2								
	बाडमेर (बैंकलॉग)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
6	ब्यावर	58	20	10	6	3	1	4	6	4	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	8	5	2	1	0	1	0	0	0	0	0	21	13	7	1	0	3	3	2	1	0	0	1	3	1								
7	भरतपुर	78	14	5	4	3	2	2	8	6	1	1	0	1	15	10	4	1	0	2	9	5	2	1	1	1	0	0	0	0	0	28	18	9	0	1	4	4	3	1	0	0	0	3	2								
	भरतपुर (बैंकलॉग)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
8	भीलवाडा	154	34	21	5	6	2	4	16	11	4	1	0	2	16	6	4	5	1	2	23	13	8	1	1	3	0	0	0	0	0	57	40	11	4	2	7	8	6	1	1	0	1	6	3								
	भीलवाडा (बैंकलॉग)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	बीकानेर	87	19	13	4	2	0	3	9	7	1	1	0	1	28	18	7	2	1	3	15	8	4	2	1	2	0	0	0	0	0	12	9	2	0	1	2	4	3	1	0	0	1	3	2								
	बीकानेर (बैंकलॉग)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	बूंदी	73	15	8	2	4	1	2	7	5	1	1	0	1	22	13	6	2	1	3	5	0	4	1	0	1	0	0	0	0	0	20	14	3	2	1	2	4	3	1	0	0	1	3	1								
11	चित्तौड़गढ़	111	41	27	8	5	1	5	11	8	2	1	0	1	16	8	4	3	1	2	10	6	2	2	0	1	0	0	0	0	0	27	20	5	1	1	3	6	4	1	1	0	1	5	2								
	चित्तौड़गढ़ (बैंकलॉग)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	चूरु	72	28	13	10	3	2	4	7	5	1	1	0	1	8	5	2	1	0	1	4	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	21	8	8	4	1	3	4	2	1	1	0	0	3	1								
	चुरु (बैंकलॉग)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

अनुलग्नक: (ख) (अनुसूचित क्षेत्र)

क्र.सं.	जिला	जिले मे भरे जाने वाले कुल पदों की संख्या	1. सामान्य वर्ग (अनुसूचित क्षेत्र) 50 प्रतिशत						2. अनुसूचित जाति (अनुसूचित क्षेत्र) 5 प्रतिशत						3. अनुसूचित जनजाति (अनुसूचित क्षेत्र) 45 प्रतिशत								दण्डवत आरक्षण	
			कुल पदों की संख्या	सामान्य	महिला			भूतपूर्व सैनिक	कुल पदों की संख्या	सामान्य	महिला			भूतपूर्व सैनिक	कुल पदों की संख्या	सामान्य	महिला			भूतपूर्व सैनिक				
					सामान्य	विधवा	परित्यक्ता				सामान्य	विधवा	परित्यक्ता				सामान्य	विधवा	परित्यक्ता		निःशक्तजन	उत्कृष्ट खिलाड़ी		
1	बांसवाड़ा	120	60	49	6	5	0	8	12	8	2	2	0	2	48	31	9	7	1	6	5	3		
2	चित्तौड़गढ़	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	झुंजरपुर	120	56	42	4	8	2	7	6	4	1	1	0	1	58	38	8	10	2	7	5	2		
	झुंजरपुर (बैंकलॉग)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0		
4	पाली	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0		
5	प्रतापगढ़	106	54	40	9	4	1	7	6	3	2	1	0	1	46	32	7	5	2	5	4	2		
	प्रतापगढ़ (बैंकलॉग)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	4	0	0	1	0	0		
6	राजसमन्द	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0		
7	सलुम्बर	33	20	13	4	2	1	3	3	2	1	0	0	0	10	7	2	1	0	1	1	1		
8	सिरोही	13	5	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	8	6	2	0	0	1	1	0		
9	उदयपुर	86	49	35	7	5	2	7	1	1	0	0	0	0	36	28	2	5	1	4	4	2		
10	भू-प्रबन्ध विभाग	27	15	7	5	2	1	2	0	0	0	0	0	0	12	7	2	2	1	1	1	1		
	भू-प्रबन्ध विभाग (बैंकलॉग)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	1	0	0	0		
सर्वयोग		522	263	191	38	27	7	35	28	18	6	4	0	4	231	157	36	30	8	26	21	11		

नोट:- अनुलग्नक क, ख में उल्लेखित पदों का वर्गीकरण राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रस्तुत अर्थना के अनुसार जारी किया गया है।